राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 76/2018

1. ताराचन्द पुत्र स्व. बोदु
2. गणेश पुत्र स्व. बोदु
3. रतन पुत्र स्व. बोदु
4. महावीर पुत्र स्व. बोदु
5. हरबाई पुत्री स्व. बोदु
6. संतोष पुत्री स्व. बोदु
7. मनकोर पुत्री स्व. बोदु जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........ वादीगण

**ब–ना–म**

1. नरेन्द्र कमार पुत्र रामचन्द्र आबूसरिया जाति जाट निवासी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं, राज0
2. संजय कुमार पुत्र जगमाल सिंह जाति जाट निवासी जयपुर जिला जयपुर राज0
3. अनामिका पत्नी स्व. मनिष जाति जाट निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
4. होशियार सिंह पुत्र स्व. छोटूराम जाति जाट निवासी संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. चान्दकोर पुत्री छोटूराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी चौधरी कॉलोनी चिड़ावा तहसील चिड़ावा।
6. रजवण पुत्री छोटूराम पत्नी जयनारायण जाट निवासी चौधरी कॉलोनी चिड़ावा।
7. सरस्वती पुत्री छोटूराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी।
8. किताब पुत्री छोटूराम पत्नी दयानन्द जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी।
9. मुनेश पुत्री जयसिंह
10. अणची पत्नी गजानन्द
11. जगदीश पुत्र गजानन्द
12. राजेन्द्र पुत्र गजानन्द
13. नरेन्द्र पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी।
14. इमरता पुत्री गजानन्द पत्नी रामकुवार जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. विमला पुत्री स्व. गजानन्द पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी।
16. रोशन पुत्री स्व. गजानन्द पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी।
17. कमला पुत्री स्व. गजानन्द पत्नी लीलाराम जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी।
18. गीता पत्नी रामजीलाल

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

19. बलबीर पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी।
20. बादामी पुत्री रामसहाय पत्नी लक्ष्मण जाति जाट निवासी सहजपुर तहसील चिड़ावा।
21. सांवलराम पुत्र बालु
22. शीशराम पुत्र श्रीराम
23. सरजीत पुत्र श्रीराम
24. ईश्वर पुत्र श्रीराम
25. मनोज पुत्र भोला
26. रमेशी पत्नी स्व. भोला जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
27. छाजूराम पुत्र मेहरचन्द
28. जानकी देवी पत्नी स्व. मेहरचन्द
29. रामनाथ पुत्र गोरधन
30. लीलाराम पुत्र झाबर
31. बिजेश पुत्र स्व. झाबर जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी।
32. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबंधक।
33. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

**दावा– उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती**

**निर्णय** **दिनांक :– 21–12–2020**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि भूमि खाता संख्या 153 के ख.नं. 2375 रकबा 0.35 है., ख.नं. 2396 रकबा 0.36 है., ख.नं. 3697 रकबा 0.16 है., ख.नं. 3699 रकबा 0.30 है., ख.नं. 3700 रकबा 0.30 है., ख.नं. 3715 रकबा 0.19 है., ख.नं. 3716 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3721 रकबा 0.25 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 है. ग्राम संजयनगर में स्थित है एवं भूमि खाता सं. 41 के हाल ख.नं. 2541 रकबा 0.23 है., ख.नं. 3864 रकबा 0.60 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है. ग्राम अजयनगर में स्थित है। उक्त आराजियात के मूल खातेदार वादीगण के पिता स्व. बोदु व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 के पूर्वज स्व. छोटू व प्रतिवादी सं. 10 लगायत 19 के पूर्वज हेमा व प्रतिवदी सं. 20 के पूर्वज रामसहाय व प्रतिवादी सं. 21 लगायत 26 के पूर्वज बालु का संयुक्त हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 27 व 28 के पिता मेहरचन्द व प्रतिवादी सं. 29 व प्रतिवादी सं. 30, 31 के पिता स्व. झाबर का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा संवत् 2014 व संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में दर्ज राजस्व रिकार्ड रहकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के पिता बोदु का उक्त विवादित आराजियात में 1/10 हक व हिस्सा निहित है तथा संवत् 2014 व 2018 से 2021 की जमाबंदी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। लेकिन संवत् 2021 के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण के स्व. पिता बोदु का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया लेकिन मौके पर अपने हिस्से अनुसार लगातार काबिज रहकर काश्त करता रहा है और उसके फौत होने के पश्चात् वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण की भारी हकतलफी है। इसलिये वादीगण अपने हिस्से की उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती के अधिकारी है। खाता सं. 153 में प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 व स्व. सुरजी देवी तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 व 13 लगायत

उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

S with CamScanner

18 ने गलत रिकार्ड के अनुसार उक्त खाता की सम्पूर्ण आराजिया तने अपने हिस्से का विक्रय प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कर दिया। इस प्रकार गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8, 10, 11 व 13 लगायत 18 ने अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है जो विक्रय पत्र वादीगण के हक व हिस्से तक बेअसर व शून्य है तथा उक्त सम्पूर्ण आराजियात में वादीगण के स्व. पिता बोदू का दर्ज 1/10 हक व हिस्से के अनुसार वादीगण का खाता सं. 153 में 1/10 हक व हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का 173/1120 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 9 का 1/70 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 12 का 1/160 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 19 का 1/40 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 20 का 1/10 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 21 का 1/20 हक व हिस्सा व प्रतिवादी सं. 22 लगायत 24 का 3/80 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 25 व 26 का 1/80 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 27 व 28 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 29 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 30 व 31 का 1/6 हिस्सा निहित हुआ। तथा खाता सं. 41 में वादीगण का 1/10 हक व हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10 लगायत 17 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 व 19 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 21 का 1/20 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 22 लगायत 24 का 3/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 25 लगायत 26 का 1/80 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 27 व 28 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 29 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 30 व 31 का 1/6 हिस्सा हुआ। उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज रहकर अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

(क) ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2070 लगायत 2073 के भूमि खाता सं. 153 के ख.नं. 2375 रकबा 0.35 है., ख.नं. 2396 रकबा 0.36 है., ख.नं. 3697 रकबा 0.16 है., ख.नं. 3699 रकबा 0.30 है., ख.नं. 3700 रकबा 0.30 है., ख.नं. 3715 रकबा 0.19 है., ख.नं. 3716 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3721 रकबा 0.25 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 है. में वादीगण को 1/10 हिस्से का तथा ग्राम अजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2069 लगायत 2072 के खाता सं. 41 ख.नं. 2541 रकबा 0.23 है., ख.नं. 3864 रकबा 0.60 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है. में 1/10 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) वाद पत्र की मद सं. 1 में दर्ज आराजियात के खाता सं. नया 153 में वादीगण का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का 173/1120 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 9 का 1/70 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 12 का 1/160 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 19 का 1/40 हिसा तथा प्रतिवादी सं. 20 का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 21 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 22 लगायत 24 का 3/80 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 25 व 26 का 1/80 हिस्सा प्रतिवादी सं. 27 व 28 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 29 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 30, 31 का 1/6 हिस्सा के अनुसार तथा नया खाता सं. 41 में वादीगण का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10 लगायत 17 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं. 18 व 19 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 21 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 22 लगायत 24 का 3/80 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 25 लगायत 26 का 1/80 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 27 व 28 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 29 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 30 व 31 का 1/6 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। शेष प्रतिवादीगण सं. 4 लगा. 33 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 153 ग्राम संजयनगर, खाता सं. 41 ग्राम अजयनगर, वारशि प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत अजयनगर, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2030–33 ग्राम पपुरना, संवत् 2014, संवत् 2018–2021 ग्राम पपुरना पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण के वाद पत्र की खण्ड सं. 3 में उल्लेखित सजरा खानदान एवं सरपंच ग्राम पंचायत संजयनगर के द्वारा जारी वारशि प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण स्व. बोदू के वारिशान हैं। परन्तु वादीगण की ओर से हाल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 153 ग्राम संजयनगर, खाता सं. 41 ग्राम अजयनगर के अलावा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि विवादग्रस्त भूमि स्व. बोदू की खातेदारी में रही है। राजस्व न्यायालय को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही खातेदारी अधिकारों का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है, मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित नहीं होने से अस्वीकर कर खारिज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/12/2020

( शिवपाल जाट )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.12.31 15:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner